

८९



III निगरानी/श्योपुर/श्रू. रा/2018/0744
पुकरण क्रमांक

III निगरानी/

श्री श्रवण का वार्षि क्रमांक
द्वाष वर्ष २०१८ की
प्रस्तुति प्रारंभिक तिथि केहु
दिनांक ८-२-१८ नियम।

राजस्व मण्डल, भ.प्र. अधिकारी
राजस्व मण्डल, भ.प्र. अधिकारी

/2018 निगरानी है श्योपुर है

सर्वजीत कौर पत्नी गुहदेव सिंह,
आयु 62 वर्ष, चवचताप-कृषि
निवासी ग्राम सरारी छुई, गोठरा,
तटो कराहल, जिला श्योपुर है म०प०
---- जावे दिका

बनाम

- १ - रामपत्ती पत्नी रघुवीर जाति बीचा
निवासी गोठरा, तटो कराहल,
जिला श्योपुर है म०प०
- २ - काइडो, बेवा रामस्कंप, जाति रावत
निवासी ग्राम गोठरा, तटो कराहल
जिला श्योपुर है म०प०
- ३ - शिवपुराद पुत्र पुम्लाल, जाति रावत
निवासी ग्राम गोठरा, तटो कराहल,
जिला श्योपुर है म०प०
- ४ - तुगीच पुत्र पुम्लाल, जाति रावत
निवासी ग्राम गोठरा, तटो कराहल,
जिला श्योपुर है म०प०
- ५ - बृजेश पुत्र पुम्लाल, जाति रावत
निवासी ग्राम गोठरा, तटो कराहल
जिला श्योपुर है म०प०
- ६ - क्रिवेणाडिएवी पुत्री कुन्दीलाल,
निवासी ग्राम गोठरा, तटो कराहल
जिला श्योपुर है म०प०

३

1/2/1

- १७।- मिश्रीदेवी पुत्री कुन्दीलाल ,
निवासी ग्राम गोठरा , तहसील कराडल ,
जिला शयोपुर ₹५०००/-
- १८।- रमेशा पुत्र लक्ष्मीनारायण
निवासी ग्राम गोठरा , तहसील कराडल ,
जिला शयोपुर ₹५०००/-
- १९।- गायत्री पुत्री हरिप्रसाद
निवासी ग्राम गोठरा , तहसील कराडल ,
जिला शयोपुर ₹५०००/-
- २०।- गिरधर गोपाल पुत्र हरिप्रसाद ,
निवासी ग्राम गोठरा , तहसील कराडल ,
जिला शयोपुर ₹५०००/-
- २१।- पिस्ताबाई पत्नी सुरेश
निवासी ग्राम जाखदा , तहसील कराडल ,
जिला शयोपुर ₹५०००/-
- २२।- सन्तोष पत्नि दिलावर
निवासी ग्राम तिळपुरी , तहसील कराडल ,
जिला शयोपुर ₹५०००/-
- २३।- लिक्क पुत्र घेतु निवासी ग्राम जाखदा ,
तहसील कराडल , जिला शयोपुर ₹५०००/-
- २४।- म०५०शास्त्र

----- अनावेदकग्रा

निगरानी अन्तर्गत धारा ५० म०५०५०रा० संहिता १९५९,

विस्त आदेश दिनांक २९-८- २०१७ दो आर इनेक्टर जिला

शयोपुर ₹५०००० द्वारा पुकरण क्रमांक १०/१२- १३ रद्द निगरानी
में पारित किया ।

----०----

श्रीमान् जी ,

निगरानी आवेदन निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

(३)

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक- दो/निगरानी/श्योपुर/भू.रा./2018/0744

सर्वजीत कौर विरुद्ध रामवती आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16/5/19	<p>प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक अभिभाषक श्री आर० सी० शर्मा उपस्थित। अनावेदक शासकीय अधिवक्ता उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर जिला श्योपुर के प्रकरण क्रमांक 10/12-13/स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनांक 29/08/2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त चंबल संभाग जिला मुरैना के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 10/7/19 को आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> <p>(3)</p>	<p>(आर० क० जैन) सदस्य 16-5-19</p>